राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन राज.जयपुर

क्रमांक एफ 1(43)लेखा/बजट/2020–21/ दिनांक

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पशुपालन विभाग, राजस्थान।

विषय :– आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये आय–व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आय–व्ययक अनुमान 2021–22 एवं संशोधित अनुमान 2020–21 निर्धारित समयावधि में वित्त विभाग को प्रस्तुत किये जाने हैं।

अतः सभी आहरण वितरण अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि आय व्ययक अनुमान 2021–22 एवं संशोधित अनुमान 2020–21 **IFMS के माध्यम से प्रपत्र 9 एवं 10 ऑनलाइन संलग्न समय सारणी अनुसार आवश्यक रूप से निदेशालय को अग्रेषित कर देवें**, ताकि प्राप्त प्रस्तावों को समय पर संकलित कर वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जा सके। जिन कार्यालयों में लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार के पद स्वीकृत नही है वे ऑन लाइन कार्य हेतु सम्बन्धित अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक कार्यालय मे पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार/ कनिष्ठ लेखाकार का यथा–आवश्यकता सहयोग ले सकते हैं। **IFMS पर प्रपत्र 9 एवं 10 ऑनलाइन किए बिना प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जा सकेगें तथा इसके फलस्वरुप राशि प्राप्त नहीं होने के लिये सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।**

IFMS के माध्यम से प्रपत्र 9 एवं 10 ऑनलाइन किए जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है उन्हें IFMS पर कार्य हेतु गत वर्ष login ID and password जारी किये जा चुके है। password को आहरण वितरण अधिकारी अपनी सुविधा अनुसार आवश्यक रुप से CHANGE कर लेवें। इसके पश्चात password के MISSUSE के सन्दर्भ में निदेशालय की कोई जिम्मेदारी नही होगी । Budget online करने के सम्बन्ध में असुविधा की स्थिति में इस कार्यालय में श्री गोपाल लाल माली सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय से कार्यालय के दूरभाष न.0141–2741332 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

समस्त आंजलन प्राधिकारियों द्वारा अनुमान तैयार करते समय निम्न बातें ध्यान में रखकर अनुमान तैयार किये जाने हैं :–

1. <u>प्रस्तावित मांग</u> :– अनावश्यक राशि की मांग प्रस्तावित नहीं की जावे, पूर्ण एवं वास्तविक आकलन करने के उपरान्त ही राशि की मांग प्रस्तावित की जावे।

2. मांगी जा रही राशि के सम्बन्ध मे पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जावे।

3. <u>योजनाएँ/कार्यक्रम</u> :– आय व्ययक अनुमानों मे वही योजनाएँ/कार्यक्रम सम्मिलित किये जावे, जो शासन की नीतियों के अनुरूप हों या जिनका क्रियान्वयन शासन द्वारा प्रतिपादित निर्देशन/सिद्धान्तों के परिपालन मे आवश्यक है।

4. समस्त योजनाएँ/कार्यक्रमों का विस्तृत अध्ययन कर यह देखे कि उन्हें निरन्तर रखना आवश्यक है या नही ? कुछ ऐसे कार्यक्रम/योजनाएँ जिनकी उपयोगिता/उपादेयता समाप्त हो गई हो अथवा कोई अन्य बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती हो तो उन्हें समाप्त करने या नये कार्यक्रमों में विलय के प्रस्ताव भी प्रस्तुत करावें।

5. कुछ ऐसी योजनाएँ/कार्यक्रम भी हो सकते है जिनके क्रियान्वयन हेतु कर्मचारी वर्ग का सृजन किया गया था, किन्तु कालान्तर मे उन योजनाओं की समाप्ति पर भी अधिकारी/कर्मचारी वर्ग में कमी नहीं की गई। दूसरी ओर कुछ योजनाऐ ऐसी भी हो सकती है, जिनमें पर्याप्त अधिकारी/कर्मचारियों के अभाव मे वांछनीय प्रगति नहीं हो रही हो या कठिनाई आ रही हो। अतः पूर्ण अध्ययन कर यदि परिवर्तन आवश्यक हो तो उक्त प्रस्ताव निदेशालय (प्रशासनिक शाखा) को उपलब्ध कराकर अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित करे। प्रस्तावों की एक प्रति बजट अनुभाग को भी उपलब्ध करावें।

6. <u>राजस्व प्राप्तियों</u> के अनुमान प्रपत्र 10 मे उचित लेखा शीर्षक सहित प्रस्तुत करे। गत वर्षों की अपेक्षा यदि आय कम या ज्यादा प्राप्त होना सम्भावित हो तो विस्तृत कारण भी अंकित किये जाएँ । प्रायः यह देखा गया है कि वास्तविक राजस्व प्राप्तियों एवं अनुमानों मे भारी अन्तर होता है। इससे प्रतीत होता है कि

राजस्व अनुमान गंभीरता से तैयार नहीं किए जा रहे हैं। इस स्थिति को वित्त विभाग द्वारा गंभीरता से लिया जाता है अतः प्राप्तियों के अनुमान पूर्ण विश्लेषण कर ही तैयार किए जाएँ। राजस्व के अनुमान शुल्क आदि की विद्यमान दरों पर आधारित होने चाहिए। RLDB में जमा होने वाले राजस्व अनुमानों को इसमें सम्मलित नही किया जावें।

7. राज्य निधि/केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित प्रस्ताव व प्रस्तावों से सम्बन्धित अन्य सूचना पृथक–पृथक प्रपत्रों में तैयार कर प्रस्तुत की जानी है।

8. प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों की पुष्टि में सम्पूर्ण अभिलेख/रिकार्ड पत्रादि सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी/ लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार/संबंधित लिपिक के साथ ही (IFMS पर ऑनलाइन किए गये प्रपत्र 9 एवं 10 की हार्ड प्रति सहित) प्रस्तुत किये जाने है।

9. संवेतन उपमद :– संवेतन मद में अधिकांश कार्यालयों द्वारा पूर्ण आकलन कर अनुमान प्रस्तुत नही किए जाते है, जिसके फलस्वरूप या तो प्रस्तावित की गई राशि से अधिक राशि या कम राशि का व्यय किया जाता है जो उचित नहीं है क्योंकि इन्हीं प्रस्तावों के आधार पर राशि आर. ई. में तथा अगले वर्ष के लिये बी. ई. में स्वीकृत कराई जाती है। अतः स्वीकृत/रिक्त पदों का पूर्ण अध्ययन/आकलन कर ही संवेतन मद में राशि प्रस्तावित की जावें, ताकि अधिक/बचत के आक्षेप से बचा जा सके। सवेतन मद के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के विपरित कार्यरत पदों के लिये ही राशि की मांग प्रस्तावित की जानी है, रिक्त पदो की नहीं।

10. संवेतन के अंतर्गत सम्मिलित की गई एरियर आदि की राशि की सूचना (लेखाशीर्षकवार, अधिकारी/कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली राशि सहित) आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जानी है, ताकि एरियर के भुगतान हेतु राशि प्राप्त कर भुगतान कराया जा सकें।

11. यात्रा व्यय :– यात्रा व्यय के अन्तर्गत पूर्व के बकाया दायित्व हो तो वर्षवार/लेखा शीर्षक सहित बकाया की पृथक–पृथक वर्षवार सूची उपलब्ध करावें तथा बकाया रहने के कारणों से भी अवगत करावे।

12. चिकित्सा व्यय :– चिकित्सा व्यय के अन्तर्गत भी यदि बकाया दायित्व चल रहे हैं तो लेखा शीर्षक सहित पृथक–पृथक वर्षवार सूची उपलब्ध करावें, तथा विशेष बीमारियों से सम्बन्धित प्रकरण हो तो नामजद पूर्ण विवरण उपलब्ध करावें, ताकि अतिरिक्त प्रावधान हेतु वित्त विभाग को निवेदन किया जा सके। अधूरी सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही सम्भव नही हो पाती है। सूची वर्षवार/कर्मचारीवार मय कुल योग के (चिकित्सा परिचर्या नियमों के तहत देय राशि के ही) भिजवावें तथा बकाया रहने के कारणों से भी अवगत करावे।

13. कार्यालय व्यय :– कार्यालय व्यय के अन्तर्गत बिजली एव पानी के दायित्व बकाया हों तो लेखा शीर्षक सहित बकाया की पृथक–पृथक वर्षवार सूची उपलब्ध करावें। मितव्यता परिपत्र दिनांक 03.09.2020 को ध्यान मे रखते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाये।

14. वाहन संधारण :– वाहन संधारण के अन्तर्गत पूर्व के बकाया दायित्व हो तो लेखा शीर्षक सहित बकाया की पृथक–पृथक वर्षवार सूची उपलब्ध करावें। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान RLDB से किया जाता है ऐसे दायित्व कों इसमें सम्मलित नही किया जावें।

15. कार्यकलाप सम्बन्धी स्वीकृत वाहनों की सूची :–वाहन हेतु टायर– ट्यूब ,बैटरी, मरम्मत तथा डीजल के बकाया आदि के स्पष्ट विवरण सहित सूची उपलब्ध करावें।

16. प्रस्तुत किये जाने वाले सभी प्रस्ताव पूर्ण अध्ययन कर वास्तविकता के आधार पर प्रस्तुत किये जावे, किन्हीं योजनाओं मे किन्हीं कारणवश आवंटित राशि का उपयोग होना सम्भव नही हो तो बचत के प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये जावें।

17. प्रस्तुत किये जाने वाले आय व्ययक प्रस्ताव प्रपत्र 8 तथा अन्य सूचना जैसे :– स्वीकृत पदों/रिक्त पदो का विवरण प्रपत्र– 1, टेलीफोन का विवरण प्रपत्र– 2,विभागीय कम्प्यूटर्स एवं किराये पर लिए गये कम्प्यूटर्स प्रपत्र–3 वाहनों का विवरण प्रपत्र– 4, आदि सूचनायें स्वीकृति अनुसार सलग्न कर निर्धारित प्रपत्र मे ही उपलब्ध कराई जानी हैं। प्रपत्र 1,2,3,4,5,8 की प्रतियाँ वर्ष 2019–20 एव पूर्व वर्षो मे भी उपलब्ध कराई गई थी।

वर्ष 2020–21 के संशोधित अनुमान एंव वर्ष 2021–22 के आय व्ययक अनुमान हेतु विभाग / वित्त– विभाग की साइट से परिपत्र एवं प्रारुप डाउनलोड कर आवश्यक रुप से अवलोकन करनें की भी सलाह दी जाती है। राज्य निधि / केन्द्रीय सहायता का उल्लेख करते हुये प्रपत्रानुसार अपेक्षित सूचनाये उपलब्ध कराई जानी है।

18. लघु निर्माण एवं मरम्मत :– लघु निर्माण एवं मरम्मत के लिये राशि अलग–अलग दर्शायी जावे। (तकमीना सलग्न करें)

19. IFMS से मिलान :– उल्लेखित व्यय राशि का IFMS से मिलान कर ही व्यय की सूचना प्रस्तुत की जावे, यदि त्रुटि हो गई हो तो विधिवत सुधार करावें।

20. आर. ई. में बचत:– कई कार्यालयों द्वारा आवंटित राशि के विरूद्ध आर. ई. में बचत प्रस्तावित करने के उपरान्त भी राशि का व्यय कर लिया जाता है, जो वित्तीय नियमो के विरूद्ध है। अत: पूर्ण आकलन कर ही राशि आर. ई. एवं बी. ई. में प्रस्तावित की जावें। आर. ई. 2020–21 में बचत प्रस्तावित करने के उपरान्त बिना सक्षम सहमति के व्यय नही किया जावे।

21. नवीन मदों के प्रस्ताव :– नवीन मदों के प्रस्ताव हार्ड प्रति के साथ अलग से तैयार कर प्रस्तुत किए जावें। इन नवीन मदों के प्रस्तावों को ऑनलाइन नही किया जाना है।

22. मितव्यता परिपत्र की पालना :– व्यय के अनुमान तैयार करते समय कोविड–19 महामारी के कारण राज्य के वित्तीय संसाधनों पर पड़ने वाले असाधारण प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजकीय व्यय के विनियमन हेतु वित्त विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक प.9(1)वित्त–1(1)आ.व्य. / 2020 दिनांक 03.09.2020 द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशो की अक्षरश: पालना सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है।

23. सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी इस परिपत्र को विभागीय वेबसाइट animalhusbandry.rajasthan.gov.in से डानलोड भी कर सकते है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(दुर्गेश राजोरिया)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक एफ 1(43)लेखा / बजट / 2020–21 / 16897–16906 दिनांक 10/9/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. संयुक्त निदेशक, (सांख्यिकी) एवं राज्य पशु गणना अधिकारी, राजस्व मण्डल, अजमेर एवं पंजीयक, पशु चिकित्सा परिषद, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त प्रस्ताव एव सभी सूचनाऐ दिनांक 01.10.2020 को व्यक्तिश: निदेशालय (बजट अनुभाग) को उपलब्ध करावें।
2. समस्त अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्र, पशुपालन विभाग राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीनस्थ सभी कार्यालयों को निर्देशित करें कि निर्धारित समयावधि में वांछित प्रस्ताव मय सूचना के निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें।
3. अतिरिक्त निदेशक, (उत्पादन, मोनिटरिंग), निदेशालय जयपुर ।
4. ए.सी.पी. निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।

10/09/20
वित्तीय सलाहकार

सम्बन्धित समस्त आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा समय सारणी में निर्धारित दिनांक से 3 दिवस पूर्व तक आय व्ययक अनुमान 2021–22 एवं संशोधित अनुमान 2020–21 प्रपत्र 9 एवं 10 IFMS के माध्यम से ऑनलाइन किया जाना अनिवार्य है। तथा प्रपत्र 9 एवं 10 हार्ड कॉपी के साथ व अन्य प्रपत्र तथा सूचनॉए निम्न समय सारणी के अनुसार सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी प्रथम/द्वितीय/ कनिष्ठ लेखाकार/संबंधित लिपिक के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।

समय सारणी

क्र. सं.	नाम कार्यालय	निर्धारित दिनांक
1	अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्र, अजमेर, उप निदेशक, कुक्कुट प्रशिक्षण सस्थान, अजमेर उप निदेशक, वृषभ पालन केन्द्र, रामसर, उप निदेशक, क्षैत्रीय रोग निदान केन्द्र, अजमेर, उप निदेशक, वृषभ पालन केन्द्र, नागौर, उपनिदेशक, भैस प्रजनन फार्म, बांकलिया	21–09–2020
2	उप निदेशक, पॉली क्लिनिक, अजमेर, भीलवाडा, नागौर, टोंक	22–09–2020
3	संयुक्त निदेशक, अजमेर, भीलवाडा, नागौर, टोंक, उपनिदेशक, कुचामनसिटी	23–09–2020
4	अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्र, भरतपुर, उप निदेशक, वृषभ पालन केन्द्र, कुम्हेर, उप निदेशक, क्षैत्रीय रोग निदान केन्द्र, भरतपुर, उप निदेशक, पॉलीक्लिनिक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर	24–09–2020
5	संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर	25–09–2020
6	अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्र, बीकानेर, उप निदेशक, क्षैत्रीय रोग निदान केन्द्र, बीकानेर, उप निदेशक, पॉली क्लिनिक, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ, श्रीगंगानगर	28–09–2020
7	संयुक्त निदेशक, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ, श्रीगंगानगर	29–09–2020
8	आहरण एव वितरण अधिकारी, निदेशालय जयपुर, अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्र, जयपुर, संयुक्त निदेशक, SDDC जयपुर, उप निदेशक, कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला, जयपुर, अतिरिक्त निदेशक, बी.पी. लैब,जयपुर, उपनिदेशक प्रमाणीकरण जयपुर, संयुक्त निदेशक, राज0 राज्य पशुधन प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर, उपनिदेशक, पशु पोषाहार अनुसधान सस्थान, जयपुर	30–09–2020
9	उपनिदेशक,कुक्कुट फार्म,जयपुर, उपनिदेशक, राज.पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान, बस्सी, सयुक्त निदेशक, पशुधन सांख्यिकी, जयपुर, उप निदेशक, शूकर फार्म, अलवर, उप निदेशक, भेड प्रजनन फार्म फतेहपुर (सीकर)	05–10–2020
10	उप निदेशक, पॉली क्लिनिक, जयपुर, अलवर, दौसा, झुन्झुनु, सीकर उपनिदेशक, ग्रामीण बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, हिंगोनिया, (जयपुर)	06–10–2020
11	संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर, अलवर, दौसा, झुन्झुनु, सीकर	07–10–2020
12	अतिरिक्त निदेशक,क्षेत्र,जोधपुर,संयुक्त निदेशक, पशुपालक प्रशिक्षण सस्थान, जोधपुर, उप निदेशक, क्षैत्रीय रोग निदान केन्द्र, जोधपुर, उप निदेशक, पॉली क्लिनिक, जोधपुर, बाडमेर, जैसलमेर, जालौर पाली, सिरोही	08–10–2020
13	सयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जोधपुर, बाडमेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, सिरोही	09–10–2020
14	अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्र, कोटा, उपनिदेशक, राज.पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान, कोटा, उप निदेशक, क्षैत्रीय रोग निदान केन्द्र, कोटा, उप निदेशक, पॉली क्लिनिक, कोटा, बांरा, बून्दी, झालावाड	12–10–2020
15	सयुक्त निदेशक, कोटा, बांरा, बून्दी, झालावाड	13–10–2020
16	अतिरिक्त निदेशक,क्षेत्र,उदयपुर,उपनिदेशक, राज.पशुपालन प्रशिक्षण सस्थान, उदयपुर, उप निदेशक, क्षैत्रीय रोग निदान केन्द्र, उदयपुर उपनिदेशक, पॉलीक्लिनिक, उदयपुर, राजसमन्द, चित्तोड़गढ	14–10–2020
17	उप निदेशक, पॉली क्लिनिक, डूगरपुर, बासवाडा, प्रतापगढ सयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग डूगरपुर, बासवाडा, प्रतापगढ	15–10–2020
18	सयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, उदयपुर, चित्तोड़गढ, राजसमन्द	16–10–2020